"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013—आषाढ़ 25, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 25, 1935)

क्रमांक-8786/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रबंधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013) जो मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 21 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रबंधन) विधेयक, 2013

विषय-सूची

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 21 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रबंधन) विधेयक, 2013

सीमित अवधि के लिए कतिपय शैक्षणिक संस्थानों की सपंत्ति को अधिग्रहित करने के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रबंधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासक" से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन नियुक्त कोई प्रशासक या प्रशासकगण;

(ख) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है ऐसी तिथि, जिस पर प्रशासक द्वारा शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन, वास्तविक रूप से अधिग्रहित किया गया है;

(ग) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य के विधानमण्डल के निर्मित अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या उससे संबद्ध कोई महाविद्यालय;

(घ) "समिति" से अभिप्रेत है धारा 5 के अधीन नियुक्त सलाहकारी समिति;

(ङ) "निदेशक" से अभिप्रेत है उच्च शिक्षा निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो अथवा राज्य शासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी;

(च) "शैक्षणिक संस्थान" या "संस्थान" से अभिप्रेत है कोई महाविद्यालय या कोई संस्थान, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसका प्रबंधन, या तो अभिव्यक्त रूप से या अन्य क्रियाकलापों के बीच, उसमें उच्च शिक्षा प्रदान करने के कार्यों के लिए किया जाता है, किंतु इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन शक्ति (अधिकार) का प्रयोग करते हुए स्थापित तथा प्रशासित कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान सम्मिलित नहीं है;

(छ) "कर्मचारियों" से अभिप्रेत है ऐसे संस्थान के कर्मचारी, जिसका प्रबंधन इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अधिग्रहित किया गया है;

(ज) शैक्षणिक संस्थान के संबंध में "प्रबंधन" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का निकाय, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो संस्थान के सामान्य प्रशासन तथा उस पर वित्तीय नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हो, किन्तु राज्य शासन द्वारा प्रबंधित कोई संस्थान सम्मिलित नहीं है;

(झ) "संस्थान की संपत्ति" से अभिप्रेत है संस्थान से संबंधित या संस्थान के आधिपत्य की समस्त चल एवं अचल संपत्ति तथा ऐसी संपत्ति के या उससे उद्भूत समस्त अन्य अधिकार और हित, जिसमें भूमि, भवन एवं अनुलग्न वस्तु, खेल का मैदान, छात्रावास, फर्नीचर, पुस्तक, सामग्री, नक्शा, उपकरण, पात्र, नगद, आरक्षित निधि, निवेश तथा बैंक बैलेंस सम्मिलित है;

(ञ) इसके व्याकरणीय विविधताओं तथा संबंधित अभिव्यक्तियों के साथ "संस्थान के प्रबंधन का अधिग्रहण" से अभिप्रेत है संस्थान के प्रबंधन का अधिग्रहण तथा ऐसे प्रबंधन के संबंध में प्रयुक्त संस्थान की संपत्ति.

प्रबंधन का अधिग्रहण.

3\. (1) जब कभी भी निदेशक इस बात से सहमत हो कि किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन ने, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के या संस्था के ज्ञापन या किसी लिखत (जिसमें कोई नियम, विनियम या उपविधि सम्मिलित है) जिससे उनका प्रशासन विनियमित होता है, के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षा किया है या प्रबंधन इस तरह किया जा रहा है जो लोक हित के विरुद्ध है और यह लोक हित में और विशेषकर उस संस्था के, जहां तक संस्था की गतिविधि छात्रों को शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है के प्रबंधन का अधिग्रहण किया जाना छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा के हित में है, तो वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संस्थान के प्रबंधन को प्रस्तावित कार्यवाही पर कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा, पांच वर्ष से अनधिक के सीमित अवधि के लिए ऐसे संस्थान के प्रबंधन का अधिग्रहण संपत्ति सहित कर सकेगा:

परंतु जहां संस्थान का प्रबंधन पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिग्रहित कर लिया गया है वहां निदेशक, यदि उसकी राय हो कि संस्थान का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक हो गया है कि उक्त सीमित अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसा प्रबंधन निरंतर प्रभावशील रहना चाहिए तो वह ऐसे प्रबंधन के संचालित रहने के लिए, आदेश द्वारा, ऐसा निर्देश जारी कर सकेगा जो एक समय में एक वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए होगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे, तथापि, ऐसे प्रबंधन को अधिग्रहित किये जाने के लिए कुल कालावधि किसी भी दशा में आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि जहां निदेशक इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि प्रबंधन अथवा उसके द्वारा नियंत्रित व्यक्तियों के बहुमत, ऐसे संगठन के सदस्य हैं, जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो राज्य में आंतरिक सुरक्षा, लोक सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकूल है तथा ऐसे क्रियाकलाप संस्थान के प्रबंधन एवं प्रशासन को प्रभावित करते हैं, तो वहां ऐसा कारण बताओ नोटिस आवश्यक नहीं होगा.

(2) जब कभी भी किसी संस्थान का प्रबंधन, इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन अधिग्रहित किया जाता है तो नियत तिथि के तत्काल पूर्व ऐसे संस्थान के प्रबंधन का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति, ऐसी संपत्ति, जो निदेशक की राय में संस्थान के प्रबंधन के लिए अनिवार्य या आवश्यक है, का आधिपत्य निदेशक अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रदान करेगा.

(3) इस धारा के अधीन किसी संस्थान के प्रबंधन का अधिग्रहण करने के पश्चात् निदेशक, ऐसी संस्थान में शिक्षा प्रदान करने की निरंतरता बनाए रखने की दृष्टिकोण से तथा वहां उपस्थित हो रहे विद्यार्थियों के हित में, धारा 4 के अधीन नियुक्त एक या एक से अधिक प्रशासकगणों के माध्यम से संस्थान के प्रबंधन की व्यवस्था कर सकेगा.

(4) कोई प्रबंधन, जो उप-धारा (1) के अधीन निदेशक के आदेश से व्यथित है, निदेशक के आदेश की प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा तथा राज्य सरकार, प्रबंधन द्वारा किए गये अभ्यावेदन पर तथा निदेशक के आदेश पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे आदेश जैसा कि वह ठीक समझे, पारित कर सकेगा, जिसमें यथास्थिति प्रबंधन की बहाली अथवा ऐसे संस्थान के प्रशासक में निहित रहने की कालावधि को कम करने का आदेश सम्मिलित है.

(5) निदेशक का निर्णय, राज्य शासन को उसके निर्णय के विरुद्ध की गई अपील में पारित होने वाले आदेश के अध्यधीन होगा एवं अपील में राज्य शासन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा.

(6) जहां संस्थान का प्रबंधन, इस धारा के अधीन अधिग्रहित किया गया है वहां प्रशासक, संस्थान के भवन के लिए भुगतान योग्य किराया, जैसा कि नियत तिथि के तत्काल पूर्व प्रबंधन द्वारा संदत्त किया जा रहा था, ऐसे व्यक्ति को अदा करेगा जो उसे प्राप्त करने के लिए अधिकृत है. यदि प्रबंधन को किराया भुगतान योग्य हो, तो ऐसा किराया, प्रबंधन को संदत्त नहीं किया जायेगा, किंतु यह, संस्थान के प्रबंधन, प्रशासन तथा रख-रखाव के लिए प्रशासक के नियंत्रण में रहेगा.

(7) ऐसी कालावधि के दौरान जब कोई संस्थान, प्रशासक के प्रबंधन के अधीन रहा हो,—

(क) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें जो निदेशक द्वारा अनुमोदित है, उनके नुकसान के लिये परिवर्तित नहीं की जायेगी ;

(ख) ऐसी शैक्षणिक सुविधायें, जैसा कि निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाये तथा जो संस्थान द्वारा नियत तिथि के तत्काल पूर्व उपलब्ध करायी जा रही थी वे निरन्तर उपलब्ध करायी जायेंगी ;

(ग) संस्थान के सभी शुल्क, सभी अनुदान तथा सभी अन्य प्राप्तियां (शुल्क, अनुदान या प्राप्तियां जो शिक्षा प्रदान करने की गतिविधियों से संबंधित हो), संस्थान के प्रयोजन हेतु व्यय करने के लिए प्रशासक को पूर्ववत उपलब्ध रहेंगी.

(घ) नियत तिथि के पूर्व ऐसे संस्थान के प्रबंधन की आयोजित बैठक में पारित किया गया कोई भी संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि, निदेशक द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये.

(ङ) प्रशासक की राय में यदि कोई कर्मचारी संस्थान में शिक्षा प्रदान करने अथवा संस्थान के हित के विरुद्ध हानिकारक कार्य कर रहे हों तो प्रशासक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे कर्मचारी को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध, कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरांत किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त करें.

(च) प्रशासक के आदेश से व्यथित कर्मचारी, अपनी सेवा समाप्ति के आदेश की प्राप्ति के 21 दिवस के भीतर, निदेशक को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम तथा निर्णायक होगा और इसको किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा.

प्रशासक की नियुक्ति.

4. (1) राज्य शासन के अनुमोदन से, निदेशक, धारा 3 के अधीन अधिग्रहित शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन के लिए एक या एक से अधिक प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगा, और जहां एक से अधिक प्रशासक नियुक्त हो वहां राज्य शासन लिखित आदेश के द्वारा प्रत्येक प्रशासक के कर्तव्य क्षेत्र का आवंटन ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगा जैसा कि निदेशक इस संबंध में समय-समय पर उचित समझे.

(2) प्रशासक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन का अनुभव हो या जो ऐसी अन्य अर्हताएं रखता हो, जैसा कि राज्य शासन आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक की सेवा के नियम एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि राज्य शासन लिखित आदेश द्वारा निर्धारित करे तथा प्रशासकों को सौंपे गये कर्तव्यों के आधार पर प्रत्येक प्रशासकों के लिए भिन्न नियम एवं शर्तें निर्धारित की जा सकेंगी.

(4) प्रशासक जहां तक संभव हो, संस्थान के प्रशासन एवं प्रबंधन के कार्यों के संबंध में समिति से परामर्श लेगा तथा समस्त ऐसे विषयों में सलाह लेते हुए दिशा निर्देश प्राप्त करेगा यदि वह समिति की सलाह से असहमत हो तो कारणों को लेखबद्ध करते हुए वह समिति की सलाह की उपेक्षा करेगा किंतु वह, असहमति तथा उसके द्वारा की गई कार्यवाही से निदेशक को सूचित करेगा और यदि निदेशक, प्रशासक द्वारा की गई कार्यवाही को अनुमोदित नहीं करता है तो निदेशक ऐसा आदेश जारी करेगा जैसा कि वह ठीक समझे तथा तत्पश्चात् प्रशासक ऐसे निर्देशों का पालन करेगा.

परामर्श समिति.

5. (1) धारा 3 के अधीन अधिग्रहित शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन एवं प्रबंधन के विषय में सामान्यत: प्रशासक को सलाह देने के प्रयोजन के लिए, राज्य शासन परामर्श समिति नियुक्त करेगा.

(2) परामर्श समिति में तीन सदस्यों से अनधिक सदस्य होंगे, जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जो उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के जानकार हो अथवा प्रबंधन का अनुभव रखते हों तथा उनमें से एक समिति की बैठक के संचालन के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा.

(3) समिति के सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा पुन: नियुक्ति के पात्र होंगे :

परंतु राज्य शासन, उक्त अवधि के अवसान के पूर्व, नैतिक पतन या संस्थान के प्रबंधन पर हानिकारक प्रभाव के आचरण के आधार पर, किसी भी सदस्य को हटा सकेगा.

(4) समिति के सदस्य समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते के लिए पात्र होंगे जैसा कि राज्य शासन आदेश द्वारा निर्धारित करें.

(5) समिति का कर्तव्य होगा कि वह प्रशासक को ऐसे विषयों पर, परामर्श दे, जिन्हें प्रशासक, निदेशक या राज्य शासन, परामर्श या मार्गदर्शन के लिए समिति को निर्दिष्ट करें, तथा समिति के लिए यह भी विधिपूर्ण होगा कि वह संस्थान के प्रशासन या प्रबंधन के मामले के संबंध में प्रशासक को ऐसा परामर्श देगा जैसा कि समिति उचित समझे.

(6) समिति, अपने कारोबार के संचालन में जैसा कि वह ठीक समझे, ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करेगी, जैसा कि निदेशक या राज्य शासन ठीक समझे.

प्रशासक की शक्तियां.

6. नियम, विनियम या उपविधि या कोई अन्य माध्यम जिससे ऐसे संस्थान का संचालन विनियमित होता है, प्रशासक, धारा 3 के अधीन अधिग्रहित किए गये संस्थान के कार्यों का संचालन करेगा तथा नियम, विनियम या उप-विधि या ऐसे माध्यम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिस्थितियों के अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वह, निदेशक के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए समुचित समझे, संस्थान के कार्यों को प्रशासित कर सकेगा.

शासन को कतिपय व्यय अदा करने एवं उसमें हिस्सेदारी का प्रबंधन का दायित्व.

7. (1) जहां किसी संस्थान का प्रबंधन, धारा 3 के अधीन अधिग्रहित किया गया है—

(क) प्रशासक के पारिश्रमिक तथा परामर्श समिति के सदस्यों के भत्तों पर व्यय, संस्थान के कोष से प्रबंधन द्वारा मासिक रूप से भुगतान किया जायेगा.

(ख) संस्थान के किसी वर्ष के व्यय का अनुपातिक शेयर (अंश), जिसे प्रबंधन, यदि संस्थान का प्रबंधन अधिग्रहित नहीं किया गया होता तो, उसे वहन करना पड़ता, राज्य शासन द्वारा प्रारंभिक रूप से वहन किया जायेगा तथा प्रशासक को भुगतान किया जायेगा किन्तु प्रबंधन, प्रशासक द्वारा मांग किये जाने पर, राज्य शासन द्वारा इस प्रकार वहन किये गये तथा भुगतान किये गये व्यय के शेयर (अंश) को, राज्य शासन को वार्षिक रूप से संस्थान के कोष से भुगतान करेगा:

परंतु प्रबंधन, प्रशासक द्वारा अनुज्ञेय व्यय, यदि कोई हो, का भार वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

(2) यदि समय से ऐसे भुगतान करने में प्रबंधन द्वारा कोई चूक होती है, तो देय भुगतान, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रबंधन से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा.

(3) यदि इस धारा के अधीन किसी राशि के भुगतान के लिए प्रबंधन के दायित्व के संबंध में कोई दुविधा या मतभेद होता है तो प्रश्न, राज्य शासन के निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा तथा राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा:

परंतु ऐसे निर्णय लेने के पूर्व, प्रबंधन को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा.

8\. (1) प्रशासक की नियुक्ति पर, संस्थान का प्रबंधन, जिसका प्रबंधन धारा 3 के अधीन अधिग्रहित किया गया हो, प्रशासक को संस्थान का प्रबंधन तथा उसके आधिपत्य के या नियंत्रण के सभी कागजात तथा संपत्ति, जो निदेशक की राय में संस्थान के प्रबंधन के लिए अनिवार्य या आवश्यक हो, तत्काल सौंपेगा।

प्रशासक को प्रबंधन सौंपने से इंकार करने के संबंध में प्रावधान.

(2) यदि प्रबंधन, इस धारा की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार संस्थान का प्रबंधन सौंपने से इंकार करता है तो निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त कोई अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, प्रबंधन को निर्देश दे सकेगा कि वह तत्काल उसके आधिपत्य या नियंत्रण के कागजात एवं संपत्ति सहित संस्थान का प्रबंधन उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुसार प्रशासक को तत्काल सौंपे.

(3) यदि प्रबंधन, जिसको उप-धारा (2) के अधीन निर्देश जारी किया गया है, निर्देश का पालन नहीं करता है तो निदेशक, उसके प्रबंधन के लिए जहां तक आवश्यक हो, उसके आधिपत्य या नियंत्रण के संस्थान के समस्त कागजातों तथा संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कदम उठा सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए निदेशक, किसी अधिकारी को तालाशी वारंट जारी करने के लिए तथा इस संबंध में ऐसे सभी अधिकारों के प्रयोग के लिए अधिकृत कर सकेगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के अध्याय-सात के प्रावधानों के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा विधिपूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है तथा इस प्रकार प्राप्त किये गये कागजातों तथा संपत्ति को प्रशासक को सौंप दिया जायेगा.

9\. (1) कालावधि जिसके लिए किसी संस्थान का प्रबंधन अधिग्रहित किया गया है, के अवसान के पश्चात्, धारा 2 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्रशासक, संबंधित प्रबंधन को संस्थान की संपत्ति के साथ-साथ संस्थान को भी सौंपेगा.

प्रबंधन को संस्थान का सौंपा जाना.

(2) प्रबंधन को संस्थान सौंपने के पूर्व, प्रशासक, संस्थान के उचित प्रशासन के हित में प्रबंधन की योजना निर्धारित करने के लिए, रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा तथा उसके उपरांत छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (क्रमांक 39 सन् 1951) के प्रावधान ऐसे लागू होंगे जैसा कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित योजना के संबंध में लागू होते हैं.

(3) यदि प्रबंधन, रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित प्रबंधन की योजना के अनुसार, संस्थान का प्रशासन करने में विफल रहता है तो संस्थान, इस अधिनियम के अधीन अधिग्रहित किये जाने के लिए दायी होगा:

परंतु कोई भी संस्थान, पुनः प्रबंधन (संचालन) के लिए तब तक अधिग्रहित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबंधन को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो.

10\. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य शासन को, प्रशासक को समस्त ऐसे निर्देश देने की शक्ति होगी जैसा कि संस्थान के प्रशासन या प्रबंधन से संबंधित विषय के संबंध में वह आवश्यक समझे तथा प्रशासक ऐसे निर्देशों का पालन करेगा.

निर्देश देने की राज्य शासन की शक्ति.

11\. इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के संबंध में, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद या अभियोजन प्रस्तुत नहीं होगा.

संरक्षण.

12\. (1) राज्य शासन, इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगा. ऐसे नियम में इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उद्ग्रहणीय शुल्क तथा ऐसे शुल्क की वापसी के लिए उपबंध हो सकेंगे.

नियम बनाने की शक्ति.

(2) इस अधिनियम के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम, इसके निर्मित किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर, जब वह सत्र में कुल 30 दिवस की अवधि के लिए हो, जो

एक ही सत्र में या दो उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, और यदि सत्र जिसके पटल पर उसे रखा गया है उस सत्र के अथवा ठीक उत्तरवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व रखा जायेगा, सदन यदि किसी प्रकार का नियम में उपांतरण करने की सहमति देता है अथवा यदि सदन सहमत होता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तथा राजपत्र में ऐसा विनिश्चय अधिसूचित करता है, तो ऐसा नियम, ऐसे अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं रखेगा, तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या विलोपन, उस नियम के अधीन पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता या विलोपन पर, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

चूंकि कृषि, चिकित्सा अथवा तकनीकी शिक्षा शामिल करते हुए कतिपय उच्चतर शैक्षणिक संस्थायें, उच्चतर शिक्षा में अध्ययन कार्यक्रम उपलब्ध करा रही हैं, बिना सूचना के विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया रोक दी जाती है अथवा बंद कर दी जाती है तद्द्वारा शैक्षणिक क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन ऐसे संस्थानों के प्रबंधन पर अधिरोपित कर्त्तव्यों के अनुपालन में उपेक्षा करने के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों का हित विपरीततः प्रभावित होता है अथवा ऐसे संस्थानों में प्रवेश के आकांक्षी विद्यार्थियों के शैक्षणिक संभाव्यता अथवा पूर्व से उस शैक्षणिक संस्थानों में नामित विद्यार्थियों के भविष्य अनिश्चितता उत्पन्न करने वाला है.

और चूंकि उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में नामित विद्यार्थियों के हित संरक्षण हेतु साथ ही साथ उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के आकांक्षी छात्रों के हित संवर्धन हेतु यह व्यापक लोकहित में होगा.

अतएव, लोक हित में सीमित अवधि के लिए कतिपय शैक्षणिक संस्थानों की संपत्ति के प्रबंध सहित प्रबंधन के अधिग्रहण को प्रभावी बनाने तथा तत्काल कार्यवाही करने के लिए उपबंध करना आवश्यक है.

अत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-क (1) (ख) तथा सातवीं अनुसूची के सूची-तीन की प्रविष्टि 25 के अधीन राज्य विधानमण्डल में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विधेयक प्रस्तुत है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 11 जुलाई, 2013

रामविचार नेताम
तकनीकी शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों को प्रत्यायोजन किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड 10 नियम बनाने की शक्ति.
खण्ड 12 निर्देश देने की राज्य शासन की शक्ति.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.